

Mines and Geology Department
District- Gopalganj
Notice Inviting E-Auction for Settlement of Sand ghats

(PR NO-020470 (Mines & Geo.) 2024-25)

(Through E-Procurement mode over <https://www.eproc2.bihar.gov.in>)

बिहार बालू खनन नीति, 2019 (यथा संशोधित) तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत बालूघाटों / उप इकाई (विखण्डन के पश्चात) की अगामी पाँच वर्षों के लिए बंदोबस्ती निम्न कार्यक्रमानुसार करायी जाएगी :-

1. ई-नीलामी कार्यक्रम:-

क्र० स०	बालूखण्ड/बालूघाट	ई-नीलामी से पूर्व प्री-बीड बैठक एवं प्रशिक्षण का समय एवं स्थान	निविदा दस्तावेज बिक्री शुल्क (5,000/-रु०) जमाकर निविदा दस्तावेज डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	अग्रधन राशि एवं ऑक्शन प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन जमा तथा निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी निविदा की जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची सिस्टम में संबंधित समाहर्ता द्वारा अपलोड करने की अंतिम तिथि	ई-नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	ई-नीलामी समाप्ति की तिथि एवं समय
01	SIPAHYA KHAS KALAMATANIYA-(क)	दिनांक 27-05-2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से गोपालगंज समाहरणालय सभागार	दिनांक 28-05-2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न	दिनांक 08-06-2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक	दिनांक 17-06-2025 को 05:00 बजे अपराह्न तक	दिनांक 19-06-2025 को 11:00 बजे पूर्वाह्न	दिनांक 19-06-2025 को 01:00 बजे अपराह्न
02	SIPAHYA KHAS KALAMATANIYA-(ख)						
03	RAJWAHI-02 (क)						
04	RAJWAHI-02 (ख)						
05	RAJWAHI-03 (क)						
06	RAJWAHI-03 (ख)						
07	RAJWAHI SEMRAHI-(क)						
08	RAJWAHI SEMRAHI-(ख)						
09	JAGRI TOLA-(ख)						
10	SATTAR GHAT-(क)						
11	SATTAR GHAT-(ख)						

- बालूखण्डों/बालूघाटों की विस्तृत विवरणी जिला के वेबसाइट <https://Gopalganj.nic.in> पर उपलब्ध है।
- बालूघाटों की बंदोबस्ती ई-नीलामी प्रक्रिया ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> से करायी जाएगी।
- ई-नीलामी द्वारा कराई जा रही बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों/कम्पनी/फर्म को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- एतद् संबंधी समस्त सूचना (यथा- नीलामी कार्यक्रम, सुरक्षित जमा राशि, अग्रधन राशि, नीलामी प्रोसेसिंग शुल्क इत्यादि) विस्तृत रूप से जिला के वेबसाइट <https://Gopalganj.nic.in> विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/mines/CitizenHome.html> एवं ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पर उपलब्ध है।
- एतद् संबंधी समस्त सूचना हेतु ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेल्पडेस्क- mjunction services limited, RJ complex, 2nd floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, PS-Shastri Nagar, Patna-800014, Bihar Toll Free number-18005726571, खनिज विकास पदाधिकारी, गोपालगंज (मो० नं० 9122079407), आईटी० मैनेजर, गोपालगंज (मो० नं० 7277556278) से सम्पर्क किया जा सकता है।

❖ विस्तृत जानकारी के लिए <https://state.bihar.gov.in/prdbihar> पर देखा जा सकता है।

खनिज विकास पदाधिकारी,
गोपालगंज।

अपर समाहर्ता,
गोपालगंज।

समाहर्ता
गोपालगंज।

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

जिला	गोपालगंज
------	----------



बिहार सरकार

गोपालगंज जिला के बालूघाटों की बंदोबस्ती
हेतु निलामी के कागजात

ई-प्रोक्योरमेंट मोड

<https://www.eproc2.bihar.gov.in>

जिला खनन कार्यालय

गोपालगंज

निविदा दस्तावेज

बंदोबस्ती की अवधि— पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से 5 वर्षों के लिए

बालूघाटों की बंदोबस्ती के लिए शर्त एवं बंधेज।

(1) निविदा दस्तावेज में निम्नांकित विवरण है:-

- i. निविदा के शर्त एवं बंधेज (अनुलग्नक 1)
- ii. बालूघाट का प्रपत्र (अनुलग्नक 2)
- iii. तकनीकी निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक 3)
- iv. बालूघाटों/कलस्टर की विवरणी (अनुलग्नक 4)

(2) पंजीयन की प्रक्रिया :-

- (i) ई-ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> में सर्वप्रथम पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदाता द्वारा पूर्व में ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। संभावित बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी-3 डिजिटल हस्ताक्षर एवं यूजर आईडी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई-मेल आईडी0 होना अनिवार्य है।
- (ii) ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पर पंजीयन लिंक के द्वारा सर्वप्रथम पंजीयन करना होगा। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा तथा विंडों में दर्शित CAPTCHA को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क का भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क केवल ऑन-लाईन <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किया जायेगा।
- (iii) इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात पोर्टल के विंडों पर निविदादाता द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन की वैधता 01 वर्ष के लिए होगी।
- (iv) उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे।

(3) बालूघाटों की बन्दोबस्ती हेतु नीलामी की शर्त एवं बंधेज :-

- (i) प्रत्येक खण्ड/बालू खण्ड/बालूघाट के लिये अलग-अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा एवं अलग-अलग अग्रधन राशि के साथ निविदा देनी होगी ।
- (ii) एक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी को अधिकतम दो बालू खण्डों अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो, के लिए बंदोबस्ती दी जाएगी। उक्त सीमा मात्र बिहार बालू खनन नीति, 2019 की कंडिका 5(i) में उल्लेखित नदियों यथा- सोन, चानन, किउल, फल्गु एवं मोरहर के बालूघाटों की बंदोबस्ती पर लागू होगी। ई-ऑक्शन सिस्टम में ही यह व्यवस्था इनबिल्ट (Inbuilt) रहेगी।
- (iii) बन्दोबस्ती ई-निविदा-सह-नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।
- (4) पात्रता :- निबंधित कम्पनियों, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और संस्थाओं के भागीदार को पात्रता के निम्नांकित मानदण्डों को पूरा करना होगा :-
- (i) भारत का नागरिक होना।
- (ii) पैन कार्ड धारी होना।
- (iii) रॉयल्टी/जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना :-
संबंधित जिला से जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।
- (iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओवर उसके द्वारा बीड किये गये खंडों/बालू खंड/बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 35 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। भागीदारी की दशा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।
- (v) जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र।
आचरण प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिए की उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है। गलत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करने पर संबंधित निविदादाता द्वारा जमा की गई सभी राशि जप्त कर 02 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (vi) विभाग/बिहार राज्य खनन निगम में किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हो। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (vii) किसी राज्य/केन्द्र के विभाग का उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।
- (5) निविदा देने की प्रक्रिया :-
केवल ऑन लाईन पद्धति ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://www.eproc2.bihar.gov.in>
- (6) ई-ऑक्शन की प्रक्रिया :-
- (i) नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रविष्टि करना होगा।
- (ii) पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।
- (iii) अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे।

(7) तकनीकी निविदा के लिए निम्नांकित कागजात पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा :-

- (क) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत अग्रधन (Earnest Money) के रूप में ऑनलाईन माध्यम से स्वयं/कम्पनी/फर्म/संस्था के खाता से जमा करना होगा। निविदादाता को विगत 03 माह के बैंक खाता विवरणी की प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- (ख) निविदा की शर्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।
- (ग) निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।
- (घ) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।
- (च) संबंधित जिला/निगम से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र— पूर्व में अगर निविदादाता द्वारा वृहत खनिज का पट्टा अथवा लघु खनिज की बन्दोबस्ती/अनुज्ञप्ति ली गयी हो अथवा स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति लिया गया हो तो संबंधित जिले के खनन पदाधिकारी/निगम से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा। यदि निविदादाता पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञप्ति नहीं लिये हो तो इस आशय का घोषणा- पत्र संलग्न करना होगा। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (छ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अन्दर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा पत्र/शपथ पत्र। GST प्रमाण पत्र नहीं रहने पर सैद्धांतिक स्वीकृतिदेश (LoI) निर्गत किया जा सकेगा किन्तु खनन के लिए अनुमति निबंधन के पश्चात ही होगी।
- (ज) जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र। आचरण प्रमाण पत्र में यह अंकित होना चाहिए की उनके विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है। गलत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करने पर संबंधित निविदादाता द्वारा जमा की गई सभी राशि जप्त कर 02 वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (झ) फर्म/प्राइवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।
- (ट) समिति के मामले में अंकेक्षण रिपोर्ट।
- (ठ) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-2023 एवं 2023-24 का वार्षिक लेखा।
- (ड) कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-2023 एवं 2023-24 की आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति। अन्य मामले में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-2023 एवं 2023-24 के आयकर रिटर्न की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (ढ) मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/उप नियम। (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में)
- (त) साझेदारी के मामले में साझेदारी दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित प्रति।
- (थ) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों।
- (द) समिति के मामले में उप नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामले में मेमोरेण्डम की प्रति।

- (ध) इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी के निदेशकों में से किसी को भी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।
- (न) अपलोड सभी कागजात स्पष्ट एवं पठनीय होना चाहिए। अपठनीय कागजात को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (8) सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् बोली आमंत्रण प्राधिकार (निविदा समिति) द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले निविदादाताओं को ही ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।
- (9) ऑक्शन मोड के चयन के उपरान्त निविदादाता को संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में दर्शित होगी।
- (10) प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।
- (11) आवश्यकता पड़ने पर ऑन-लाईन निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात्, किन्तु प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व कभी भी लिखित सूचना निर्गत कर नीलामी कार्यक्रम में परिवर्तन किया जा सकता है, जो मात्र ऑन-लाईन प्रदर्शित होगा। अतः बोलीदाता को <https://www.eproc2.bihar.gov.in> पोर्टल से सूचना देखते रहना होगा। बोलीदाता की ये जम्मेवारी होगी कि वह पोर्टल का अवलोकन करते रहे। किसी अन्य माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी।
- (12) किसी विशिष्ट सम्पदा के ई-नीलामी की प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा के अंतिम 05 मिनट में यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को केवल एक बार मात्र अगले एक घंटा की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। उसके बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा।
- (13) सफलतम बोलीकर्ता को स्वचालित सिस्टम द्वारा ई-मेल एवं पोर्टल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी।
- (14) बोली लगाते समय बोलीदाता के सभी आईटी0 संसाधनों एवं उपकरणों के सुचारु रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलों में बेल्ट्रॉन/संबंधित जिला खनन कार्यालय अथवा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (15) सभी इच्छुक निविदादाता ई-नीलामी हेतु पंजीकरण करने एवं ऑन-लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि निविदादाताओं द्वारा नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्तें उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति अस्वीकार्य होगा।
- (16) नीलामी की तिथि एवं समय ई-नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित है। सभी इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित हो लेंगे कि ई-नीलामी से संबंधित अपने सभी आईटी0 संसाधनों एवं उपकरणों की समुचित जाँच कर ली है एवं निर्धारित नीलामी कार्यक्रम के अनुसार ही भाग लेंगे।

(17) ऑक्शन प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा दस्तावेज शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा अनुरक्षणीय (Non-Maintainable) होगा।

(18) ई-नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओं द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया जाता है तो उस नीलामी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार समाहर्ता/ खान एवं भूतत्व विभाग के पूर्ण विवेकाधिकार में होगा।

(19) बालूघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया एवं सफल निविदादाता का चयन:-

(i) बालूघाटों की बंदोबस्ती उच्चतम डाकवक्ता/बोलीदाता के पक्ष में ई-निविदा-सह-नीलामी (e-tendering-cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी निविदा, निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की शर्तों के अनुसार उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) जो व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने का मौका दिया जायेगा। ई-नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे।

(iii) उच्चतम निविदादाता/डाकवक्ता द्वारा बंदोबस्ती लेने से इन्कार करने या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर या असफल रहने पर उनकी जमा अग्रधन/प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी एवं अगले 02 वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

(iv) ई-नीलामी में न्यूनतम बोली की बढ़ोतरी राशि (Incremental Value) सुरक्षित जमा राशि की 10 प्रतिशत के बराबर होगी। वित्तीय बोली Incremental Value के गुणज (Multiple) में ही लगायी जा सकती है।

(v) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं द्वारा ई-नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण नीलामी विफल हो जाने पर तकनीकी निविदा में सफल सभी निविदादाताओं की अग्रधन की राशि जप्त कर ली जाएगी।

(vi) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जायेगी। दूसरी बार भी यदि और कोई निविदादाता नहीं आते हैं, तो एकल निविदा को सुरक्षित जमा के उपर बोली की स्थिति में समाहर्ता के अनुशंसा के साथ विभाग को भेजा जायेगा एवं विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटों का नियमानुसार बंदोबस्ती की जा सकेगी।

(vii) नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी दूसरे एवं उसके बाद की बंदोबस्ती राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के बराबर होगी।

(viii) अपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने, अपेक्षित राशि के भुगतान, पट्टा संविदा के निष्पादन के बाद कार्य-आदेश उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(ix) बंदोबस्तधारी बंदोबस्ती अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य देय करों का भुगतान करेगा।

(20) सफल निविदादाता के चयन के बाद की औपचारिकताएँ :-

- नीलामी के 05 दिनों के अंदर, उच्चतम डाकवक्ता से नीलामी राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान, प्रतिभूति जमा, (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) के रूप में करने की अपेक्षा की जाएगी और सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत्यादेश (LoI) उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में निर्गत किया जाएगा और

उसके बाद उच्चतम डाकवक्ता निविदा पत्र में वर्णित अपेक्षित दस्तावेजों यथा-अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनापत्ति नियत कालावधि के भीतर जमा करेंगे। प्रतिभूति राशि पर किसी तरह का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

- ii. प्रतिभूति राशि बंदोबस्ती अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी बशर्ते कि कोई अन्य बकाया वसूल नहीं किया जाना हो।
- iii. अग्रधन/प्रतिभूति जमा और नीलामी की किस्तों का भुगतान केवल ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा, जो—
 - (क) किसी व्यक्ति की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के बैंक खाते से किया जाएगा।
 - (ख) भागीदारी फर्म की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।
 - (ग) कंपनी की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी या उसके प्रबंध निदेशक या उसके संबंधित निदेशकों के खाते से किया जाएगा।
 - (घ) किसी भी कारण से ई-नीलामी रद्द होने के मामलों में, सफल डाकवक्ता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि, जिसमें अग्रधन राशि एवं प्रतिभूति राशि आदि शामिल हो, को खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार के विवेकाधिकार पर वापस किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में किसी तरह का ब्याज अथवा मुआवजे एवं नुकसान आदि के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- iv. सफल निविदादाता को निविदा हेतु ऑनलाईन अपलोड किये गये सभी दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रति जिला खनन कार्यालय में 02 दिन में समर्पित किया जाना होगा।
- v. सफल निविदादाता कंपनी/समिति/साझेदारी के मामलों में सभी निदेशकों/सदस्यों/प्रोपराईटर/साझेदारों की सूची एवं उनकी चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी तथा कंपनी/समिति/साझेदार की भी चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे। जिला खनन कार्यालय/खनिज विकास पदाधिकारी का इस विवरणी को प्राप्त करने की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी एवं प्राप्त होने के उपरांत ही लेटर ऑफ इंटेंट/सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(21)वैधानिक अनापत्ति:- बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसे:- खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी पर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार है:-

- i. **खनन योजना:-** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा QCI/NABET से मान्यता प्राप्त Professional RQP से तैयार कर निदेशक, खान या विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित

खनिज डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही खनन योजना की जाँच हेतु समाहर्ता/विभाग अन्य ऐजेंसी चयनित कर सकेगा, जिसका निर्धारित फीस/खर्च भी बंदोबस्तधारी को ही वहन करना होगा। सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना के अनुसार खनन करना सुनिश्चित करेंगे।

- ii. **पर्यावरणीय स्वीकृति:**— सफल डाकवक्ता/बंदोबस्तधारी खनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- iii. **जल एवं वायु सहमति:**— पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/ Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- iv. **खनन के लिए अनुमत मात्रा:**— खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति में वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी कम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा। यदि अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सहमति में खनन योग्य मात्रा कम किये जाने पर भी वार्षिक देय बंदोबस्ती राशि किसी स्थिति में कम नहीं की जाएगी।
- v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते हैं या प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते हैं तो, समाहर्ता द्वारा अग्रधन राशि जप्त कर पुनः निलामी की कार्रवाई की जाएगी।

(22) बंदोबस्ती विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करना:—

- i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/बन्दोबस्ती स्वीकृत किया जाएगा। सफल डाकवक्ता विहित प्रपत्र में संबंधित नियमानुसार बंदोबस्ती विलेख अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र, कार्य आरंभ करने के पहले, निष्पादित करेगा तथा यथा विहित अपेक्षित प्रतिभूति राशि जमा देगा। बंदोबस्तधारी के पट्टे की अवधि विलेख/संविदा निष्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।
- ii. बंदोबस्तधारी को निष्पादित संविदा का निबंधन संबंधित विभाग के प्रचलित नियमों के अधीन 01 माह के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

(23) बालू खनन की अनुमति:— बंदोबस्तधारी को सभी अपेक्षित वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने, अपेक्षित किस्त का भुगतान करने एवं पट्टा संविदा निष्पादन के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।

(24) भुगतान की शर्तें:—

- (i) निलामी-राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत के बराबर होगी।
- (ii) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के अनुसार बंदोबस्ती की राशि का भुगतान करेगा :-

किस्त	भुगतान की नियत तारीख
प्रथम किस्त (50%)	(क) पट्टा संविदा निष्पादन से पहले (पहले वर्ष के लिए) (ख) प्रथम वर्ष में पट्टा संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा किया जायेगा।
द्वितीय किस्त (25%)	03 महीना पूरा होने से पहले।
तृतीय किस्त (25%)	06 महीना पूरा होने से पहले।

प्रत्येक समानुदान वर्ष में बंदोबस्तधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तों की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्ता, गोपालगंज के समक्ष जमा की जायेगी। यदि किस्तों के भुगतान करने में बंदोबस्तधारी असफल होता है तो आगे ई-चालान सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाएगा और केवल अग्रिम भुगतान कर दिये जाने के बाद ही खोला जाएगा एवं इसके लिए किसी तरह के क्षतिपूर्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

- (25) **GST का भुगतान :-** बंदोबस्तधारी को जी0एस0टी0 के रूप में प्रचलित दर के अनुसार राशि वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करना होगा। जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज में जी0एस0टी0 भुगतान का प्रमाण प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।
- (26) **आयकर/अन्य करों का भुगतान:-** बंदोबस्तधारी को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि बंदोबस्ती राशि के प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी। जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज द्वारा यह राशि आयकर मद में जमा करा दी जायेगी।
- (27) **जिला खनिज फाउण्डेशन:-** सफल डाकवक्ता को बंदोबस्ती राशि की 2 प्रतिशत राशि जिला खनिज फाउण्डेशन को जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार करना होगा।
- (28) **बालू का विक्रय मूल्य:-** अंतिम उपयोगकर्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। लेकिन लोकहित में समाहर्ता/खनन विभाग निलामी राशि, अन्य खर्च, बंदोबस्तधारी का लाभ का अंतर इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विक्रय दर निर्धारित कर सकेगा।
- (29) **बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र:-** बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होंगे।
- (30) **(क) बालू खनन की अधिकतम गहराई:-**
नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से 3 मीटर अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। लेकिन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सृजित बालूघाटों के लिए प्रतिवेदन में उल्लेखित गहराई को मान्य किया जायेगा। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित आधार पर भर दिये जाएंगे।
- (ख) खनन योग्य मात्रा में वृद्धि:-**

इसकी सूचना यदि बंदोबस्तधारी द्वारा विभाग/संबंधित जिला खनन कार्यालय को नहीं दी जाती है, तो संबंधित बंदोबस्तधारी की संलिप्तता मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।

(xxxv) Google earth pro/Bhuvan software से की गई Monitoring/प्राप्त साक्ष्य मान्य होंगे। इस आधार पर बंदोबस्तधारी के विरुद्ध शास्ति अधिरोपण/अन्य कार्रवाई की जाएगी।

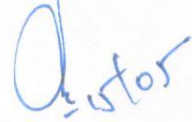
(xxxvi) बंदोबस्तधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन करने, निर्धारित गइराई से ज्यादा खनन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों के विरुद्ध खनन करने एवं खनन योग्य मात्रा से अधिक खनन करने की कृत को अवैध खनन माना जाएगा एवं बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के नियम- 56 के तहत संबंधित बंदोबस्तधारी के विरुद्ध जुर्माना राशि अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जमा अग्रधन की राशि से वसूली की जाएगी।

(xxxvii) बंदोबस्तधारी द्वारा बालूघाटों से बालू का परिवहन बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं इस संबंध में अन्य अधिसूचित नियम के तहत किया जाएगा। अनियमितता की स्थिति में उपरोक्त नियमावली के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

(xxxviii) बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xxxix) ई-नीलामी एवं बालूघाट की बंदोबस्ती अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019, (यथा संशोधित) के अधीन होगा।

(xl) खान एवं भूतत्व विभाग/समाहर्ता आवश्यकता पड़ने पर ड्रोन एवं अन्य अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके बालूघाटों का सर्वेक्षण कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बालूघाटों से बालू खनन की पूरी प्रक्रिया प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप हो रही है।



समाहर्ता,
गोपालगंज।

बंदोबस्ती हेतु बालूघाटों की विवरणी

जिला—

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	खण्ड/बालू खण्ड/ बालूघाट की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति।
1	2	3	4	5

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम—

मोहर—

नोट:— निविदादाता प्रकाशित निविदा में वर्णित बालूघाटों में से जिस/जिन बालूघाटों के लिए निविदा देने हेतु इच्छुक है सिर्फ उसी को भरकर निविदा प्रपत्र अपलोड करेंगे।

बालूघाट की बंदोबस्ती हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

(निविदादाता अपने लेटर-हेड अथवा सादा कागज का प्रयोग करें।)

1. निविदादाता का नाम :
(समिति या प्राईवेट लि० कम्पनी
या फर्म के मामले में प्रबंधक/
अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले
का नाम)
2. पिता का नाम : व्यक्ति का फोटो
(व्यक्ति विशेष को
छोड़कर अन्य
मामले में प्रबंधक/
मैनेजिंग पार्टनर
का फोटो)
(समिति या प्राईवेट लि० कम्पनी
या फर्म के सचिव/प्रबंधक/
अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले के
पिता का नाम)
3. पत्राचार का पता :
4. ई-मेल :
5. स्थायी पता :
6. सम्पर्क हेतु दूरभाष सं० : (कार्या०) (आ०)
(मो०)
7. पैन कार्ड संख्या एवं आधार कार्ड संख्या (स्वः
अभिप्रमाणित छायाप्रति
संलग्न करें) :
8. बकाया रहित प्रमाण-पत्र :
(कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
संबंधित जिला एवं निगम से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र
तथा अन्य जिलों के मामलों में घोषणा-पत्र/शपथ-पत्र।
9. Chartered Accountant द्वारा सत्यापित वित्तीय :
वर्ष-2021-22, 2022-2023 एवं 2023-24
Annual Accounts (Profit and Loss Account
सहित) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें
10. स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों :
11. GST निबंधन प्रमाण-पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं :
रहने पर एक माह के अंदर निबंधन
करा लेने संबंधी शपथ-पत्र
12. कम्पनी के मामलों में वित्तीय वर्ष-2021-22, 2022-2023 एवं 2023-24
का आयकर रिटर्न। अन्य मामलों में वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23
एवं 2023-24 के आयकर विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति। :
13. जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल
पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण-पत्र :
(स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
14. समिति / फर्म/प्राईवेट लि० कम्पनी के मामले में :
अद्यतन अंकेक्षण रिपोर्ट
15. मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन/उप नियम:

(कृपया संलग्न करें)(व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य
के मामले में)

16. साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी दस्तावेज :
की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
17. जिला का नाम :
18. बालूघाट ईकाई का विवरण जिसके लिये :
निविदा दी गई है।
19. सुरक्षित जमा राशि :
20. अग्रधन की राशि तथा उसका पूर्ण विवरण :
i. बैंक एवं शाखा का नाम—
ii. UTR No.-
iii. तिथि—
iv. राशि—
v. निविदादाता का बैंक खाता संख्या—

तिथि—

नाम एवं हस्ताक्षर

गोपालगंज जिलान्तर्गत आगामी पाँच वर्षों के लिए बन्दोबस्ती हेतु बालूघाटों/उप इकाई की विवरणी :-

S. No	Name of River	Name of Ghat	Area (Ha)	Co-ordinates		Minable Mineral Quantity (In Cum)	Minimum Reserve Price (Rs)	EMD (Rs)	
				Latitude	Longitude				
1	GANDAK	SIPAHIYA KHAS KALAMATANIYA- (क)	10	A	26°35'58.75"N	84°23'19.62"E	60000	4500000	1125000
				B	26°36'2.14"N	84°23'28.81"E			
				C	26°35'55.18"N	84°23'34.95"E			
				D	26°35'47.46"N	84°23'28.09"E			
				E	26°35'51.60"N	84°23'24.41"E			
2	GANDAK	SIPAHIYA KHAS KALAMATANIYA- (ख)	8.70	A	26°35'47.42"N	84°23'28.10"E	52200	3915000	978750
				B	26°35'55.04"N	84°23'34.95"E			
				C	26°35'47.20"N	84°23'40.87"E			
				D	26°35'39.28"N	84°23'35.25"E			
3	GANDAK	RAJWAHI-02 (क)	5.80	A	26°34'25.72"N	84°26'32.81"E	34800	2610000	652500
				B	26°34'23.76"N	84°26'38.90"E			
				C	26°34'12.51"N	84°26'38.25"E			
				D	26°34'12.71"N	84°26'33.29"E			
4	GANDAK	RAJWAHI-02 (ख)	5.90 HA	A	26°34'23.78"N	84°26'38.94"E	35400	2655000	663750
				B	26°34'22.55"N	84°26'42.69"E			
				C	26°34'12.16"N	84°26'47.55"E			
				D	26°34'12.53"N	84°26'38.25"E			
5	GANDAK	RAJWAHI-03 (क)	5.70	A	26°34'25.66"N	84°27'19.34"E	34200	2565000	641250
				B	26°34'24.90"N	84°27'26.73"E			
				C	26°34'15.08"N	84°27'23.87"E			
				D	26°34'16.13"N	84°27'17.91"E			

	GANDAK	RAJWAHI-03 (ख)	5.80	A	26°34'26.45"N	84°27'11.71"E	34800	2610000	652500
				B	26°34'25.65"N	84°27'19.33"E			
				C	26°34'16.12"N	84°27'17.89"E			
				D	26°34'17.26"N	84°27'11.28"E			
7	GANDAK	RAJWAHI SEMRAHI- (क)	7.00	A	26°33'34.23"N	84°27'21.97"E	42000	3150000	787500
				B	26°33'38.81"N	84°27'26.85"E			
				C	26°33'33.94"N	84°27'36.00"E			
				D	26°33'27.11"N	84°27'28.70"E			
8	GANDAK	RAJWAHI SEMRAHI- (ख)	7.90	A	26°33'27.08"N	84°27'28.72"E	47400	3555000	888750
				B	26°33'33.97"N	84°27'35.96"E			
				C	26°33'29.50"N	84°27'44.32"E			
				D	26°33'21.77"N	84°27'33.75"E			
09	GANDAK	JAGRI TOLA- (ख)	9.00	A	26°30'5.85"N	84°28'43.02"E	54000	4050000	1012500
				B	26°30'12.37"N	84°28'46.32"E			
				C	26°30'16.91"N	84°28'32.61"E			
				D	26°30'10.50"N	84°28'29.06"E			
10	GANDAK	SATTAR GHAT- (क)	6.00	A	26°15'41.39"N	84°49'56.21"E	36000	2700000	675000
				B	26°15'41.59"N	84°50'5.99"E			
				C	26°15'47.58"N	84°50'7.19"E			
				D	26°15'49.83"N	84°49'58.06"E			
11	GANDAK	SATTAR GHAT- (ख)	7.60	A	26°15'49.79"N	84°49'58.06"E	45600	3420000	855000
				B	26°15'47.61"N	84°50'7.24"E			
				C	26°15'55.36"N	84°50'8.82"E			
				D	26°16'0.56"N	84°50'0.46"E			

समाहर्ता,
गोपालगंज ।